II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. ....of 20 ....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

—: खंडपीठ कमांक—40:—

आरसीटी कमांक—........10594/22

<u>नेशनल लोकअदालत में प्रकरण पेश।</u>

09.05.2026

परिवादी द्वारा/सहित श्री .[illegible] अधिवक्ता उप0।

अभियुक्त द्वारा/सहित श्री [illegible] .... अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण में परिवादी/उसकी ओर से उसके अधिकृत अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—147 परकाम्य लिखत अधिनियम सहपठित धारा—257 द0प्र0सं0 का प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण में परिवादी की ओर से उक्त आवेदन पर व्यक्त किया कि प्रकरण में परिवादी व अभियुक्त के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से विवाद समाप्त/समझौता कर लिया गया है। अब अभियुक्त एवं परिवादी के बीच कोई वाद विवाद एवं लेन देन शेष नही रहा है तथा प्रकरण लोक अदालत में निराकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

वर्तमान प्रकरण परिवादी HDFC की ओर से अभियुक्त [illegible] के विरुद्ध एन0आई0एक्ट0 के उपबंध के अधीन प्रस्तुत किया गया था। जो कि शमन मामलों की प्रक्रिया की तहत् विचारण किया जा रहा है, परिवादी/परिवादी की ओर से अधिकृत अधिवक्ता द्वारा वर्तमान प्रकरण आगे नहीं चलाना व्यक्त करते हुये वापिस लेना चाहा है जिसके तहत यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिवादी प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता। अतः उसके पास प्रकरण वापिस लिये जाने/समाप्त किये जाने बाबत् पर्याप्त आधार उपलब्ध है ऐसी दशा में परिवादी का निवेदन स्वीकार करते हुये उसे प्रकरण वापिस लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **<u>Sanjabij Tari Vs Kishore S. Borcar and Anr 2025 ibclaw. in 385 SC</u>** में परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण में समझौता किये जाने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि यदि अभियुक्त धारा 138 के प्रकरण में यदि अभियुक्त चैक राशि बचाव साक्ष्य के पूर्व अदा कर देता है तब विचारण न्यायालय बिना किसी परिव्यय या शास्ति अधिरोपित कर अपराध का शमन स्वीकार करेगा। वर्तमान प्रकरण परिवादी साक्ष्य के प्रकम पर है इसलिए उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में बिना शमन शुल्क अधिरोपित किये आवेदन स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्त ....[illegible]........ को धारा—138 एन0आई0एक्ट0 के अपराध से धारा—147 परकाम्य लिखत अधिनियम सहपठित धारा—257 दं0प्र0सं0 के तहत हस्तगत परिवाद में राजीनामा होने से प्रत्याहृत किये जाने से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

परिवादी को न्यायालय शुल्क वापसी के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण विधिवत् यथासमय अभिलेखागार में जमा हो।

(अमिता अवस्थी)
(सदस्य)
नेशनल लोक अदालत

(गज़ल पहवा सिंह)
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत

GAZAL PAHWA
Digitally signed by GAZAL PAHWA
Date: 2026.05.09 16:07:31 +0530